



**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक प्रमण्डल, मुंगेर।
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं० - 09 / 2011-12**

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पदनाम:- कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक प्रमण्डल, मुंगेर।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय :- 04.11.2011 के 5:00 बजे अपराहन तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- 05.11.2011 को अपराहन 3:00 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 05.11.2011 को अपराहन 3:30 बजे तक
5. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान :-
 1. कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक प्रमण्डल, मुंगेर, भागलपुर।
 2. अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक अंचल, भागलपुर।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :- अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक अंचल, भागलपुर।
7. कार्य का विवरण :-

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाने योग्य नहीं हैं	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1 गुप (ए)	जमुई जिला अन्तर्गत खैरा धनवरिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु 4500 जी०पी०एच०, 35 मीटर शीर्ष क्षमता का सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प सेट अधिष्ठापन एवं 1000 लीटर क्षमता का पानी टंकी आपूर्ति कार्य। पम्प का मेक- किलोसकर/ डब्लू०पी०आई०एल०/ज्योति/के०एस०बी०	165000/-	3,300/-	500/-	दो माह
2 गुप (बी)	जमुई जिला अन्तर्गत खैरा धनवरिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु 63 के०भी०ए० का ट्रांसफरमर आपूर्ति तथा 11 के०भी०ए० एच०टी० लाईन का विस्तार, अधिष्ठापन एवं कमीशनिंग कार्य। ट्रांसफरमर का मेक- किलोसकर/स्टैम/सर्भोकोन	355000/-	7,100/-	750/-	दो माह


8. प्राक्कलित राशि में कमी एवं वृद्धि हो सकती हैं।
9. केवल वैसे संवेदक जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग बिहार पटना में समुचित श्रेणी में निबंधित हो, इस निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे।
10. केवल वैसे संवेदक जो पम्प सेट निर्माता अथवा उनके प्राधिकृत विक्रेता/ इलक्ट्रीकल लाईसेन्स होल्डर ही इस निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे।
11. अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अथवा/ पांच वर्षीय डाकघर सावधी जमा पासबुक जो कार्यपालक अभियन्ता लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक प्रमण्डल, मुंगेर के पदनाम से प्रतिक्रित हो ही मान्य माने जायेंगे।
12. परिमाण विपत्र की राशि जो नगद रूप में होगी जो लौटाने योग्य नहीं हैं। परिमाण विपत्र लेने समय क्रमांक 9 एवं 10 के सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

13. सभी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
14. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय अवधि में सम्पर्क की जाय अथवा कार्यालय का सूचना पट्ट अथवा वेबसाइट— www.prd Bihar org. पर देखा जा सकता है।
15. जैसे संवेदक/ आपूर्तिकर्ता जिससे पूर्व में आपूर्ति आदेश निर्गत है और आपूर्ति नहीं किये है उन्हे परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।


15/10/11
कार्यपालक अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यंत्रिक प्रमण्डल, मुंगेर।

15/10/11

ज्ञापांक:-.....586...../मुंगेर,दिनांक:-15.10.11.....।

प्रतिलिपि:- अधिक्षण अभियन्ता,लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक अंचल, भागलपुर /मुख्य अभियन्ता लोक
स्वा0अभियंत्रणा विभाग भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर/मुख्य अभियन्ता यॉत्रिक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग
विहार,पटना/कार्यपालक अभियन्ता लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक प्रमण्डल, भागलपुर/पूर्णिया/सहायक
निर्देशक,सूचना एवं जन सर्मर्पक विभाग ~~संयुक्त~~ मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC
मुंगेर/सूचना पट्ट पर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


15/10/11

कार्यपालक अभियन्ता।

लोक स्वास्थ्य यॉत्रिक प्रमण्डल,मुंगेर।
15/10/11